राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत 4 एम.एल.

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2017**

1. जय प्रकाश पुत्र श्री श्रीनिवास अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 28 के ब्लाक श्रीगंगानगर।

**– – प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

**– – अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुभाष चन्द्र मिढ़ा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. पैराकार राज — अप्रार्थी

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक :– 11.05.2017**

प्रार्थी जय प्रकाश पुत्र श्री श्रीनिवास अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 28 के ब्लाक श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विलेख दिनांक 07.05.1973 के चक 6 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 4 में $0.2^1/_2$ किला नम्बर 5 में $0.7^1/_2$ कुल 0.126 हैक्टर भूमि नानक राम पंत्र श्री पन्नाराम जाति जाट से खरीद की हुई है जिसका नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 18.07.1974 को क्रस के अनुसार किलावाईज किया गया है फोटो प्रति संलग्न है।

पटवार हल्का चक 4 एम.एल. द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 में पृष्ठाकरण करते समय मुरब्बा नम्बर 34 कर 0.126 हैक्टर का पृष्ठाकरण कर दिया गया है जो कि एक लिपिकिय त्रृटि है इस सम्बंध में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष रिकार्ड में संशोधन करनें हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट चाही गई।

पटवरी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि प्रार्थी का रकबा सांझे खातें में दर्ज है तथा किला वाईज अलग दर्ज करनें का प्रार्थना पत्र प्रसतुत किया है हिस्सा अलग किया जाना सम्भव नहीं है जबकि उनके द्वारा सभी क्रेतागण का खरीद अनुसार इसी अन्तकाल संख्या 20 के आधार पर किलावाईज पृष्ठाकण जमाबन्दी में किया हुआ है। फोटो प्रति संलग्न है।

पटवारी हल्का की रिपार्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा संशोधन करनें से इन्कार करते हुए श्रीमान्जी के समक्ष वाद प्रस्तुत करनें की सलाह दी है, जबकि रकबा विक्रय विल्लेख रजिस्टर्ड खरिद किया हुआ है तथा किलावाईज क्रय करनें पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण किया हुआ है तथा जमाबन्दी में भुलवश पृष्ठाकण 0.126

लगातार ............... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

हैक्टर कर दिया गया है, जिसके लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है ऐसी त्रुटि को प्रार्थना पत्र के आधार पर संशोधित किया जा सकता है जिस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर निर्णय पारित किये हुए है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है, कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर के नाम से आदेश फरमाया जावे कि वे चक 6 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 4 में $0.2^{1}/_{2}$ किला नम्बर 5 में $0.7^{1}/_{2}$ कुल 0.126 हैक्टर अंकित किया है का किलावाईज पृष्ठाकण इन्तकाल संख्या 20 के अनुसार करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 4 एम.एल. में तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि भूमि विक्रेता नानकराम पुत्र पन्नाराम का सम्पूर्ण खाते में 0.536 हैक्टर हिस्सा दर्ज था जिसमें से $17^{1}/_{2}$ बिस्वा भूमि विक्रय की गई है नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 18.07.1974 भी हिस्से में ही दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। किला वाईज स्वीकृत नहीं हुआ है। चुँकि विक्रेता को संयुक्त खाते में भूमि विशेष को बेचान करनें का अधिकार नहीं था ना ही भूमि विशेष बेचान की गई है प्रार्थी को चाहिये कि मुश्तर्का खाते में अपनें हिस्से की भूमि का अलग खाता करवानें का दावा पेश करना चाहीये न कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का प्रार्थना पत्र अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि विक्रेता की भूमि संयुक्त खाते की होनें के कारण किला विशेष का बेचान करनें की अधिकारिता नहीं है इस कारण नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 18.07.1974 सही दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई लिपिकिय त्रुटि नही होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थन पत्र पोषणीय नहीं है।

## –:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पोषणीय नहीं होनें के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 11.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 एम.एल. में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर